"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 अप्रैल 2017— वैशाख 2 , शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्रमांक 3769/डी. 85/21-अ/प्रारू./छ. ग./17 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-04-2017 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 5 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 66क का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 66 में, उप-धारा (4) में,-

(क) खण्ड (दो) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(दो) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी, उसकी अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

(ख) खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(तीन) जिला पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से,"

रायपुर, दिनांक 22 अप्रैल 2017

क्रमांक 3769/डी. 85/21-अ/प्रारू./छ. ग./17. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-4-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 5 of 2017)

THE CHHATTISGARH PANCHAYAT RAJ (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2017

An Act further to amend the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2017.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 66.

2. In Section 66 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), in sub-section (4), -

(a) clause (ii) shall be substituted by the following, namely :-

"(ii) in case of Janpad Panchayat, the joint signature of Chief Executive Officer and Assistant Accounts Officer, in his absence, any Officer authorized by the Collector;"

(b) After clause (ii), the following shall be added, namely :-

"(iii) in case of Zila Panchayat, the joint signature of Chief Executive Officer and Senior Accounts Officer/Accounts Officer;"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.